

प्रेषक

संजीव मित्तल  
अपर मुख्य सचिव-वित्त  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

- 1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष  
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ:दिनांक:13 फरवरी 2019

विषय:- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को युक्तिसंगत बनाया जाना।

महोदय

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003 दिनांक 28 मार्च 2005 द्वारा राज्य सरकार की सेवा में और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिनमें राज्य सरकार की पुरानी पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू थी में 01 अप्रैल 2005 से समस्त नई भर्तियों पर नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू की गई है। उक्त अधिसूचना द्वारा वित्तीय सेवायें विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-5/7/2003-ईसीबी एण्ड पीआर दिनांक 23 अगस्त 2003 के अनुरूप यह व्यवस्था की गयी थी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://mdel.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन0पी0एस0) को युक्तिसंगत बनाये जाने हेतु भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-1/3/2016-पीआर दिनांक 31 जनवरी 2019 द्वारा की गयी व्यवस्थाओं के क्रम में राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिये गये हैं-

(1) एन0पी0एस0 के टियर-1 में पेंशन निधि और निवेश पैटर्न का विकल्प निम्नानुसार होगा :-

(क) **पेंशन निधि का विकल्प** :- सरकारी अभिदाताओं को निजी क्षेत्र पेंशन निधि सहित किसी भी पेंशन निधि का चयन करने की अनुमति होगी। वे वर्ष में एक बार अपने विकल्प को बदल सकेंगे। तथापि सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र पेंशन निधि की वर्तमान व्यवस्था मौजूदा और नये सरकारी अभिदाताओं के लिए स्वतः उपलब्ध रहेगी।

(ख) **निवेश पद्धति का विकल्प** :- सरकारी कर्मचारियों को निवेश के निम्नलिखित विकल्प दिए जायेंगे नामतः -

(I) सरकारी कर्मचारियों की वर्तमान योजना वर्तमान और नये सरकारी अभिदाताओं के लिए स्वतः उपलब्ध योजना के रूप में जारी रहेगी। इस योजना के अंतर्गत पी0एफ0आर0डी0ए0 के दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र के तीन निधि प्रबंधकों के बीच उनके पूर्व के कार्य निष्पादन के आधार पर निधियां आबंटित की जाती है।

(II) ऐसे अभिदाता जो न्यूनतम जोखिम के साथ निश्चित प्रतिफल के विकल्प का चयन करते हैं को सरकारी प्रतिभूतियों (योजना जी) में 100 प्रतिशत निवेश करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://mdel.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(III) ऐसे अभिदाता जो उच्चतर प्रतिफल के विकल्प का चयन करते हैं उन्हें जीवनचक्र पर आधारित निम्नलिखित दो योजनाओं का विकल्प उपलब्ध होगा :-

- परंपरागत (कन्जर्वेटिव) जीवन चक्र निधि जिसमें इक्विटी में निवेश की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत होगी - (एल0सी0-25)
- सामान्य (मॉडरेट) जीवन चक्र निधि जिसमें इक्विटी में निवेश की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत होगी- (एल0सी0-25)

(ग) **पुराने कॉर्पस के विकल्पों को लागू करना :-** भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को पेंशन निधि अथवा निवेश पद्धति में परिवर्तन की जो अनुमति प्रदान की गयी है उसके अनुरूप ही यह सुविधा राज्य सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध होगी।

(घ) **पुराने कॉर्पस को एक समुचित समयावधि में अंतरित करना:** सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं के लिए नये विकल्पों के अनुसार पी0एफ0आर0डी0ए0 द्वारा संचित कॉर्पस को समुचित समयावधि अर्थात् 05 वर्ष में अन्तरित करने की एक योजना तैयार की जा सकती है। पी0एफ0आर0डी0ए0 द्वारा योजना तैयार किये जाने पर उक्त योजना के अनुसार संचित कॉर्पस के संबंध में पेंशन निधि अथवा निवेश पद्धति में परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है।

(2) 01 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2019 तक अंशदानों को जमा न करने अथवा देरी से जमा करने हेतु क्षतिपूर्ति :

(क) उन सभी मामलों में जिनमें राज्य सरकार अथवा सहायता प्राप्त संस्थाओं/शिक्षण संस्थाओं के अभिदाताओं के वेतन में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://mdel.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

से 31 मार्च 2019 तक कटौती तो कर ली गयी थी लेकिन राशि को सी०आर०ए० सिस्टम में सम्प्रेषित नहीं किया गया था अथवा देरी से सम्प्रेषित किया गया था अंशदान की राशि को कटौती की तिथि से लेकर अभिदाता के एन०पी०एस० खातों में जमा होने की तिथि तक की अवधि के लिए जी०पी०एफ० पर समय-समय पर यथा लागू दरों पर ब्याज के साथ अभिदाता के एन०पी०एस० खाते में जमा किया जाए।

(ख) उन सभी मामलों जिनमें उपर्युक्त श्रेणी के अभिदाताओं के वेतन से एन०पी०एस० अंशदानों की कटौती नहीं की गयी थी में अभिदाता को अब अंशदान जमा कराने का विकल्प दिया जाए। यदि वह अब अंशदान जमा करने का विकल्प चुनता है तो अंशदान की राशि को एकमुश्त रूप में अथवा मासिक किश्तों में एन०पी०एस० खाते में जमा कराया जा सकता है।

(ग) उन सभी मामलों जिनमें 31 मार्च 2019 तक देय नियोक्ता अंशदान सी०आर०ए० सिस्टम में सम्प्रेषित नहीं हुए थे अथवा देरी से सम्प्रेषित हुए थे (भले ही अभिदाता अंशदानों की कटौती हुई थी अथवा नहीं) में नियोक्ता अंशदान की राशि नियोक्ता अंशदान देय होने की तिथि से लेकर अभिदाता के एन०पी०एस० खाते में वास्तविक रूप में जमा होने तक की अवधि के लिए जी०पी०एफ० पर समय-समय पर यथा लागू दरों पर ब्याज के साथ अभिदाता के एन०पी०एस० खातों में जमा किया जाए।

3- भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2019 के समस्त प्रावधान 01 अप्रैल 2019 से लागू किये गये हैं। अतः राज्य सरकार द्वारा भी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://mdel.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उपर्युक्त समस्त प्रावधान 01 अप्रैल 2019 से लागू किये जायेंगे। यह आदेश सरकारी कर्मचारियों और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होंगे।

भवदीय  
संजीव मित्तल

अपर मुख्य सचिव वित्त

संख्या-06/2019/सा-3-91ए(1)/दस-2019-301(9)/2019 तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 2- महानिबंधक मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
- 3- निदेशक कोषागार उत्तर प्रदेश जवाहर भवन लखनऊ।
- 4- निदेशक पेंशन निदेशालय इंदिरा भवन लखनऊ।
- 5- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 6- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आज्ञा से  
नील रतन कुमार  
विशेष सचिव वित्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://ndel.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।